

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
जयपुर, दिनांक: 29-06-2007
क्रमांक: एफ4() परावि/पी.सी./आदर्शग्राम/06/1209
प्रशासनिक स्वीकृति
(नये कार्यों के लिए)

"दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम योजना" के अन्तर्गत जिला परिषदों के पत्रांक 1053 दिनांक 16.3.2007 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव अनुसार वर्ष 2007-08 में सम्पादित काराये जाने वाले निम्नांकित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(अ) जिला:- अजमेर
(ब) गांव का नाम:- फतेहगढ पंचायत का नाम:- फतेहगढ पंचायत समिति:- अराई
(स) गांव के चयन की तिथि 18-1-2007

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि		
		कुल	DDUAGY मद से (90%)	दिशा निर्देश के पैरा 2.5 के अनुसार श्रमदान अथवा जन सहयोग (10%)
1	भवन निर्माण पशु चिकित्सालय	5.75	5.17	0.58
2	बस स्टैण्ड निर्माण	4.50	4.05	0.45
3	विद्युतीकरण रोड लाईट वार्ड नं. 1,4,9	1.10	0.99	0.11
4	वर्षा जल संचय राजकीय भवनों में वर्षा जल को भू जल से मिलाना	4.80	4.32	0.48
5	खेल मैदान रा.उ.मा.वि. में चारदीवारी	3.10	2.79	0.31
6	पुस्तकालय में जनुपयोगी पुस्तकों का क्रय	0.25	0.22	0.03
7	आई.ई.सी. योग	0.50	0.50	-
		20.00	18.04	1.96

उपरोक्त कार्यों के क्रियान्वयन में निम्न शर्तों का पालन किया जायेगा :-

- 1- तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुसार जारी करने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जावेगा।
- 2- ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2004 में निर्दिष्ट मापदण्डों एवं व्यवस्थाओं तथा योजना के प्रावधानों की पालना करते हुये ही कार्य का सम्पादन किया जावेगा।
- 3- आई.ई.सी. गतिविधि का सम्पादन जिला स्तर से निर्धारित एन.जी.ओ. द्वारा किया जावेगा।

(स्वैभराज)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:-

- 1- अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अजमेर।
- 2- विकास अधिकारी, पंचायत समिति, अराई (अजमेर)।
- 3- सरपंच, ग्राम पंचायत, फतेहगढ पंचायत समिति अराई (अजमेर)।

शासन सचिव एवं आयुक्त